न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–एलआर/ 57/18 भीलवाड़ा (2018/00057)

1. छीतरलाल पिता मूलचन्द चोरडिया
2. फतह लाल पिता चुन्नीलाल चोरडिया
   निवासी करेडा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. हरकलाल पिता नन्दलाल गोखरू,
2. श्रीमती मोतीबाई पत्नि श्री रामलाल महाजन
3. पीरूलाल पिता रामलाल महाजन
4. गणपतलाल पिता रामलाल महाजन
   समस्त निवासीगण करेडा, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील करेडा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा, दिनांक 21.01.2013 अपील संख्या 619/ 2012.

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री सी0पी0शमा अभि0 रेस्पोडेंटस ।

निर्णय

दिनांकः–.....

अपीलांटस ने यह अपील जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्धारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2013 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करेडा तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी खसरा नं0 2628, 2629, 2631 से 2637 एवं 8712/ 2629 कुल किता 10 रकबा 4.02 बीघा भूमि स्थित है जो अपीलार्थीगण तथा प्रत्यार्थी संख्या 2 के पति व प्रत्यार्थी सं0 3 व 4 के पिता के नाम दर्ज है उक्त वर्णित हाल आराजीयात का आवंटन अपीलार्थी छीतरमल पिता मूलचन्द, फतहचन्द पिता चुन्नीलाल तथा प्रत्यर्थी सं0 2 के

पति व प्रत्यार्थी सं0 3 व 4 के पिता रामलाल पिता जीवराज को 12.2.1976 को भू0 आवंटन कमेटी द्वारा किया गया । इस भू आवंटन को राजस्व अभिलेख में नामा0 सं0 1185 क्षरा अमल दरामद किया गया । उक्त आवंटन दिंनाक 12.2.1976 के विरूद्व तत्समय आवंटन निरस्तीकरण के बाबत राजा बहादुर चन्द्र सेन जागीरदार ने अपीलार्थीगण तथा प्रत्यार्थी सं0 2 के पति व प्रत्यार्थी सं0 3 व 4 के पिता के विरूद्व जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष आवंटन खारीज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वर्तमान प्रत्यार्थी सं0 1 से मिलिभगत कर उसे पक्षकार संयोजित कर लिया । इस प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही कर जिला कलक्टर भीलवाडा ने दिंनाक 23.3.1977 को भू आवंटन को खारिज किये जाने के आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्व अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील आर0ए0ए0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई । इस निर्णय 24.4.1999 के विरूद्व अपीलार्थीगण ने राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । जिसे राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 28.07.2003 के द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय निरस्त कर दिया ।

2- इस प्रकार अपीलार्थीगण का आवंटन बरकरार है वर्ष 1976 से वर्ष 2003 तक राजस्व मण्डल अजमेर तक विभिन्न मुकदमें इस आराजी बाबत लडें गये जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 सदैव पक्षकार रहा और समस्त मुकदमों सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी उसकों है । आवंटन के आधार पर खुले नामान्तरकरण की पूरी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 को सदैव रहीं । प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नामान्तरकरण सं0 1185 दिंनाक 11-1-1983 के विरूद्व एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की । जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा अपील मियांद बाहर होने के कारण निर्णय दिनांक 21.1.2003 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1185 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार करेडा को रिमांण्ड कर दिया गया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील करीब 29 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई जो भारी मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य थी किन्तु भारी मियांद बाहर अपील को स्वीकार करने में विधिक भारी त्रुटि की है। xx

5- अधि0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जागीरदार चन्द्रसेन द्वारा भू-आवंटन के विरूद्व अपने प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थी सं0 1 को पक्षकार जोड लिया जिसमें प्रत्यर्थी सं0 1 ने भी उक्त आवंटन के विरूद्व कार्यवाही में हिस्सा लिया था जिससे यह साबित था कि उसे उक्त आवंटन के आधार पर खुले नामान्तरकरण की जानकारी थी किन्तु उक्त विधिक स्थिति को नंजरअंदाज कर निर्णय दिया गया । पारित निर्णय काबिल निरस्तनीय है ।

6- अपीलान्ट अभि0 ने बहस के दौरान यह कथन किया कि प्रत्यर्थी सं0 1 को कभी भी भूमि का आवंटन नहीं किया गया था केवल मात्र जागीरदार चन्द्रसेन ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को पक्षकार के रूप में जोड लिया जिसका फायदा उठाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह अपील प्रस्तुत की थी । ऐसा कोई दस्तावेज भू आवंटन कमेटी के समक्ष आवंटन हेतु प्रस्तुत किया गया है । उक्त आराजी अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थी सं0 2,3, व 4 के पति/पिता को ही आवंटन की गई थी । अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय 21.01.2013 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

7- अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपीलांट अभिभाषक की बहस के जवाब में कथन किया कि प्रथम अपील रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार करेडा बमामले नामान्तरकरण संख्या 1185 निर्णय दिनांक 13.1.1983 के खिलाफ दिंनाक 170802012 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम करेडा तहसील करेडा में स्थित हाल आराजी संख्या 2628, 2629, 2631 से 2637 एवं 8712/2629 किता 10 रकबा 4.02 बीघा जो प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पति एवं पिता रामलाल पिता जीवराज एवं प्रत्यर्थी संख्या 4,5 के नाम दर्ज है । उक्त वर्णित आराजीयात के बन्दोबस्त पूर्व के आराजी नं0 1326/1 रकबा 6.04 बीघा व 1326/2 रकबा 0.01 बीघा था। दौराने सेटलमेन्ट सीलिंग कार्यवाही से वर्णित भूमि बिलानाम दर्ज होने के बाद तथाकथित आराजीयात के आवटंन बाबत अपीलार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पति एवं 2 व 3 के पिता रामलाल व विपक्षी सं0 4,5 के द्वारा भू आवंटन कमेटी के समक्ष आवंटन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया । जिस पर वादग्रस्त आराजी का आवंटन उनके नाम पर दिंनाक 12.2.1976 को किया गया । भू-आवंटन को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने हेतु विवादित नामान्तरकरण संख्या 1185 संस्थित किया गया । आवंटन के मुताबिक चारों व्यक्तियों का नाम लिखने से रह गया अर्थात मात्र रामलाल पिता जीवराज छीतरमल पिता मूलचन्द एवं फतहलाल पिता चुन्नीलाल के नाम ही दर्ज किया गया है । अपीलार्थी हरकलाल का नाम दर्ज होने से रह गया लेकिन इस तथ्य की कभी कोई जानकारी रेस्पोन्डेन्ट को नहीं हो पाई । रेस्पोन्डेन्ट निरन्तर प्रत्यर्थीगण के साथ संयुक्त तोर काश्त करते हुए काबिज चला आ रहा है ।

8- दिनांक 210201976 को आराजीयात का आवंटन किये जाने के आदेश के विरूद्ध तत्समय आवंटन निरस्तीकरण के बाबत राजा बहादुर चन्द सेन जागीरदार ने अपीलार्थी एवं प्रत्यथीगण के विरूद्ध जिला कलक्टर महोदय के समक्ष आवंटन खारीज करने हेतु कार्यवाही की गई जिस पर न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा ने दिनांक 23.3.1977 को तथाकथित भू-आवंटन को खारीज करने के आदेश पारित किये गये । जिसके विरूद्ध अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी ने संयुक्त रूप से राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपील प्राधिकारी ने दिनांक 240901999 को अपील अपीलार्थी खारीज की गई । जिसके विरूद्ध पुनः अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । दिनांक 28.7.

2003 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से निर्णय होकर कलक्टर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 1 से 5 के पक्ष में हुए आवंटन को बहाल रखा गया । इस प्रकार विवादित आराजीयात अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त रूप से आवंटन है । वर्ष 1976 से वर्ष 2003 तक राजस्व मण्डल अजमेर तक विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें लडे, इस प्रकार अपीलार्थी को कभी इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि विवादित आराजी जो प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 को भी आवंटित हुई लेकिन उसका नामान्तरकरण अपीलांट के आधार पर नहीं खोला गया ।

9- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम करेडा तहसील करेडा में स्थित हाल आराजी संख्या 2628, 2629, 2631 से 2637 एवं 8712/2629 किता 10 रकबा 4.02 बीघा जो प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पति एवं पिता रामलाल पिता जीवराज एवं प्रत्यर्थी संख्या 4,5 के नाम दर्ज है । उक्त वर्णित आराजीयात के बन्दोबस्त पूर्व के आराजी नं0 1326/1 रकबा 6.04 बीघा व 1326/2 रकबा 0.01 बीघा था। दौराने सेटलमेन्ट सीलिंग कार्यवाही से वर्णित भूमि बिलानाम दर्ज होने के बाद तथाकथित आराजीयात के आवटंन बाबत अपीलार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पति एवं 2 व 3 के पिता रामलाल व विपक्षी सं0 4,5 के द्वारा भू आवंटन कमेटी के समक्ष आवंटन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया । जिस पर वादग्रस्त आराजी का आवंटन उनके नाम पर दिंनाक 12.2.1976 को किया गया । भू-आवंटन को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने हेतु विवादित नामान्तरकरण संख्या 1185 संस्थित किया गया । आवंटन के मुताबिक चारों व्यक्तियों का नाम लिखने से रह गया अर्थात मात्र रामलाल पिता जीवराज छीतरमल पिता मूलचन्द एवं फतहलाल पिता चुन्नीलाल के नाम ही दर्ज किया गया है । अपीलार्थी हरकलाल का नाम दर्ज होने से रह गया था। विवादित आराजियात सीलिंग नियमों के तहत वर्ष 1976 में अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट्स को आवंटित की गई थी। अपीलार्थी को तत्समय भूमि आवंटित हुई थीं या नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष से हम सहमत है कि अपीलार्थी को भू-आवंटन तत्समय में किया गया अथवा नहीं यह बिन्दु यहां पर निर्णायक बिन्दु है । इस बारे में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण की प्रति से यह विदित होता कि आवंटनशुदा भूमि राजस्व अभिलेख में आवंटियों के नाम दर्ज करने हेतु संस्थित किये गये नामान्तरकरण में अपीलार्थी का कोई उल्लेख नहीं है । नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होकर पुनः अधीनस्थ तहसीलदार करेडा को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड योग्य ठहराई जाती है कि विवादित आराजीयात

के सम्बन्ध में अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण को भली-भांति रूप से सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर अजसरे नव निर्णय पारित किया जावें। ऐसी स्थिति में हमें अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21-1-2013 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21-1-2013 बउनवान हरकलाल बनाम श्रीमती मोती बाई व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक .....को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.17 16:19:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: